कार्यालय मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

पत्रांकः– 5443 / 12गवन / –प्र0क्षे0 / 20 दिनांकः– 31 / 08 / 2020

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी / प्र0अ0(त0स0)
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

विषयः– आराजी नं0–657 मि0मौजा–अन्दॉवां, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज (क्षेत्रफल 4720.00 वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास (क्रय योग्य तलानुपाल सहित) मानचित्र पर अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज का पत्रांक–104 / प्र0अ0(त0स0) / जोन–5 / ग्रु0 हा0 / 2019–20 दिनांक–18.03.2020 एवं अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज का पत्रांक–4493 / 8काम(3)प्रया0वृ0 / 2020 दिनांक 27.07.2020, पत्रांक–4493(1) / 8काम(3)प्रया0वृ0 / 2020 दिनांक 27.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री सुरेश चन्दूका, थ्रू विकासकर्ता श्री संजीव जैन, डायरेक्टर, मेसर्स त्रिवेणी बिल्डजोन प्रा0लि0 द्वारा आराजी नं0–657 मि0मौजा–अन्दॉवां, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज (क्षेत्रफल 4720.00 वर्गमीटर) पर समूह आवास मानचित्र पर "अनापत्ति प्रमाण पत्र" निर्गत किये जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण कराते हुये अधीक्षण अभियन्ता प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज का पत्रांक–4493 / 8काम(3)प्रया0वृ0 / 2020 दिनांक 27.07.2020, पत्रांक–4493(1) / 8काम(3)प्रया0वृ0 / 2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा अनुमोदनोंपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रासंगिक स्थल प्रयागराज–वाराणसी मार्ग एन0एच0–106 पर स्थित है।

1. उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत राज्य मार्ग पर नगर निगम सीमा के अन्दर मार्ग के मध्य बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार 30.00 मी0 पर किसी प्रकार का स्थायी / अस्थायी निर्माण कार्य न कराया जाये तथा भविष्य में लोक निर्माण विभाग की भूमि को अधिग्रहण न किये जाने सम्बन्धित शपथ–पत्र निर्माणकर्ता के स्वामी से प्राप्त कर लिया गया है।
2. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम–1945 की धारा–6 के अन्तर्गत एवं शासनादेश संख्या 979 / 23–2–2009, लोक निर्माण अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक–27 मई, 2009 (छायाप्रति संलग्न) के संशोधित शासनादेश संख्या 1061 / 23–2–2011 लोक निर्माण अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक–25.04.2011 (छायाप्रति संलग्न) में रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट में जहॉ महायोजना लागू है, छूट का प्राविधान है। प्रस्तावित समूह आवास, प्रयागराज, विकास प्राधिकरण की महायोजना –2021 के अन्तर्गत मानचित्र पृष्ठ सं0–9 में प्रदर्शित (झूँसी फ्लाईओवर के बाद मार्ग) मार्ग पर स्थित है। उक्त महायोजना में मार्ग की कुल चौड़ाई 60 मी0 दर्शायी गई है, जो कि मार्ग के मध्य बिन्दु से 30–30 मी0 दोनों तरफ है।
3. संलग्न मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य 30.00 मी0 रखकर बनाया जाये।
4. मार्ग से जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली का निर्माण, निर्माणकर्ता स्वामी के स्वयं के खर्चे

पर निर्माण कराया जायेगा एवं साइन बोड/सूचनापट्ट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में विकाशकर्ता का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अतः उक्त संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण न कराया जाये यदि इसके अतिरिक्त कुछ भी निर्माण कार्य कराया जाता है तो निर्गत अनापत्तिः प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार
मानचित्र दो प्रतियां मूल में

(हिमान्शु मित्तल)
मुख्य अभियंता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
3. श्री सुरेश चन्दूका, थ्रू विकासकर्ता श्री संजीव जैन, डायरेक्टर, मेसर्स त्रिवेणी बिल्डजोन प्रा0लि0।

मुख्य अभियंता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज